न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—351/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/351

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
स्वर्गीय सवा पुत्र वना, जाति सरगरा, निवासी लालपोल, जालोर तहसील व जिला जालोर के कायम मुकाम —		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।
श्री हरिराम पुत्र स्व. श्री सवा, जाति सरगरा निवासी लालपोल, जालोर तहसील व जिला जालोर		2.मानाराम पुत्र श्री दरगाजी, जाति मेघवाल, निवासी लालपोल, जालोर तहसील व जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/1999 निर्णय दिनांक 04.09.2000 अनवान सवा बनाम राज सरकार व अन्य</u>

उपस्थिति :—
1. श्री शिवप्रकाश मारू, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2 ।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः— 29.11.24

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/1999 निर्णय दिनांक 04.09.2000 अनवान सवा बनाम राज सरकार व अन्य से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध तथा मनमाने ढंग से पारित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य हैं।

अपीलार्थी के पिता को मौजा जालोर (ए) के पुराने खसरा नम्बर 1771 में 15 बीघा भूमिहीन व अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति होने से सवत् 2021 में आवंटित की गई जिस पर अपीलार्थी के पिता व अपीलार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भू–प्रबन्ध कार्य तहसील क्षेत्र जालोर में प्रारम्भ होने से उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 1690 रकबा 0.02 है० खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.27 है० व ख०नं० 1701 रकबा 0.32 है। बनाये गये। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1700 में से रकबा 1.27 है. का बेचान घेवाराम व मानाराम पुत्रान दरगाजी को दिनांक 15.06.1993 को किया गया । शेष खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.32 है. जो कि कभी बेचान नही की तथा अपीलार्थी व उसके पिता के कब्जेकाश्त रही जिसे भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर गैर मुमकिन बाला राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया। जो कि खातेदारी का हिस्सा था जिसे गलत रूप से खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज किया गया, जो पुनः रेकर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई गौर नहीं किया गया और मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट में यह तथ्य भी प्रकट हुए कि प्रत्यर्थी को बेचान की गई भूमि का कब्जाकाश्त 8 बीघा पर ही है तथा इसी आधार पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है तथा भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा शेष भूमि को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक गैर मुमकिन बाला दर्ज कर नये खसरा नम्बर 1701 किये गये उक्त गलत इन्द्राज से यह स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी के पिता को आवंटित भूमि के बेचान उपरांत शेष भूमि का रिकार्ड दुरुस्तीकरण कराया जाना आवश्यक हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में कतई ध्यान नहीं दिया तथा इस आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया कि इनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया गया है. जो कि तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा यह उजर रखा गया कि भू–प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा गलत इन्द्राज करने के विरूद्ध उजरदारी की थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना खारिज किया गया कि ऐसी उजरदारी पूर्व में खारिज हुई हैं तथा 15 बीघा भूमि को अगर भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बेचान में कम आराजी बताई तो इस आधार पर अपीलार्थी को हक टाईटल प्राप्त नहीं हो सकता, जो कानूनन विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णरूप से गलत तथ्यों पर आधारित है। जब 15 बीघा भूमि में से 8 बीघा भूमि ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के कब्जेकाश्त में है तो शेष भूमि आवंटन के अनुसार अपीलार्थी के हक टाईटल की है तथा अगर भू–प्रबन्ध द्वारा गलत रेकर्ड इन्दाज किया गया है तो दुरूस्त किये जाने योग्य हैं मगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर विचार किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलार्थी के पिता सवाराम की मृत्यु दिनांक 08.01.2004 को व माता की मृत्यु दिनांक 07.08.2010 को गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही। अपीलार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश उपरांत 20.09.2017 को मानाराम द्वारा अपने पिता के समय से कब्जाकाश्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर गाव के मौजीज व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त मामले के सम्बन्ध में स्वर्गीय सवाराम द्वारा एक मुकदमा किया गया था जिस बाबत जानकारी हासिल करने पर यह पता चला कि उक्त मामले का फैसला 04.09.2000 को हो गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2017 को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा उक्त आदेश व अन्य दस्तावेज दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी जो कि मृतक सवाराम के वारिस होने से यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

अपीलार्थी के पिता द्वारा धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राजस्व रेकार्ड खसरा नम्बर 1771 का वर्तमान भाग, खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.32 है० जो कि सिवायचक दर्ज किया गया को हटाकर अपीलार्थी के पिता के खाते में रेकर्ड दुरूस्तीकरण हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार जालोर को निर्देशित करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की गलत रिपोर्ट व प्रत्यर्थी संख्या–2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब कि मृतक सवाराम द्वारा अपने खातेदारी जमीन खसरा नदर 1771 मी. रकबा 15 बीघा का बेचान कर दिया गया था तथा स्वर्गीय सवा का अभी कोई कब्जाकारत नहीं रहा है तथा इस सम्बन्ध में सवा द्वारा सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष भी उजरदारी प्रस्तुत की गई. जो खारिज की गई। खरीददार के खाते में 8 बीघा जमीन होने से उसका हक टाईटल शेष जमीन पर नहीं रहता है के आधार पर दिनाक 04.09.2000 को खारिज किया गया।

अपीलार्थी के पिता उक्त आदेश के पूर्व से ही बीमार होने व मृत्यु होने तथा इसके पश्चात् अपीलार्थी के माता का भी निधन होने से अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई तथा अब प्रत्यर्थी संख्या–2 मानाराम द्वारा अपीलार्थी को कब्जाकास्त की जमीन से बेदखल करने की धमकी देने पर उक्त आदेश से व्यथित तथा असतुष्ठ होकर यह अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2000 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/1999 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.32 है० सिवायचक से हटाकर अपीलार्थी के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में अभिकथन किया है कि–

सरहद मौजा जालोर ए में खसरा नम्बर 1771 की भूमि में सवा पुत्र वना कौम सरगरा निवासी जालोर को 15 बीघा जमीन आयी हुयी थी।

सवा के पुत्र हरिराम की शादी हेतु तथा घरेलू खर्च हेतु रकम की जरूरत पडने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई घेवाराम को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.06.1993 को खातेदारी भूमि का बैचान

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किया। इस पर सवा के कायम मुकाम अपील कर्ता हरिराम की साख डाली हुयी है तथा साख के रूप में इसके हस्ताक्षर है। जो उस समय व्यस्क था। सम्पूर्ण खातेदारी हक की जमीन बैचान कर दी तथा मौके पर जितनी जमीन पर कब्जा था। खरीददार यानी रेस्पोडेन्ट 2 व इसके भाई घेवाराम को करवा दिया। इसके बाद सवा के पास खातेदारी की कोई भूमि उपरोक्त खसरे में नहीं रही। बैचान दस्तावेज में सवाराम कब्जा सुपुर्द करना स्वीकार कर रहा तथा रेस्पोडेन्ट का कब्जा है तथा बैचान से पहले खरीददारान को कब्जा कर दिया।

सवाराम ने दिनांक 04.01.1993 को एक उजरदारी ए. एस.ओ. जोधपुर कैम्प जालोर पार्टी नम्बर 3 को पेश की। जिस पर ए.एस.ओ. ने सुन कर आदेश पारित कर दिया। जो दिनांक 22.03.1993 को सवा के उपस्थिति में जारी हुआ। इसके बाद दिनांक 15.06.1993 को जमीन का बैचान कर कब्जा खरीददार को करवा दिया। मौके पर कब्जा काश्त हम खरीददारान का है। एएसओ के आदेश की अपील डायरेक्टर लेण्ड रेवन्यू को होनी है। जो सवाराम द्वारा नहीं की गयी। इस प्रकार एएसओ का आदेश अन्तिम हो गया।

एएसओ आदेश दिनांक 22.03.1993 के छ साल बाद दिनांक 03.05.1999 को धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट सवा का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर जालोर में पेश किया। जिसमें आदेश दिनांक 04.01.1993 को छिपाया है। इसका हवाला 136 के प्रार्थना पत्र में नहीं दिया। दिनांक 28.05.1999 को अपीलार्थी हरिराम ने उप जिला कलेक्टर जालोर को उपरोक्त धारा 136 के प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र सवाराम की तरफ से पेश किया था। जिस पर अपीलान्ट हरिराम के हस्ताक्षर है। यह प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तथ्यो को भी अपीलार्थी ने अपील मिमो में छिपाया है।

आदेश दिनांक 04.09.2000 को सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता की उपस्थिति में पारित हुआ है। उस दिन दोनो बाप बेटे न्यायालय में हाजिर थे। इनके अधिवक्ता भी उपस्थित थे। इस प्रकार इस अपील की जानकारी सवा को अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2000 से है।

अपीलार्थी हरिराम ने म्याद के प्रार्थना पत्र में यह बताया है कि दिनांक 08.01.2004 को सवा की मृत्यु हो गयी तथा दिनांक 07.08.2010 को उनकी माता की मृत्यु हुयी। यह तथ्य गलत दर्ज किये है। जबकि सवाराम की पत्नी का देहान्त सवाराम की मृत्यु से पहले हो चुकी थी। सवाराम की किसी भी पत्नी का देहान्त 07.08.2010 को नहीं हुआ है।

म्याद के प्रार्थना पत्र में आदेश की जानकारी दिनांक 20.09.2017 को होना बता रहा है तथा दिनांक 26.09.2017 को नकल अधिवक्ता से मंगवा रहा है। जो नकल दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त हो गयी। दिनांक 20.09.2017 से भी जानकारी माने तो म्याद 20.11.2017 को पूरी हो जाती है इस प्रकार म्याद बाहर अपील पेश की गयी है। क्योकि अपील वर्ष 2018 में पेश हुई है।

खातेदारी सवा पुत्र वना की थी। जिसने अपने पुत्र के शादी के लिये व घरेलू खर्च हेतु रकम की आवश्यकता होने से सवा के पुत्र हरिराम की उपस्थिति में बैची गयी है तथा प्रतिफल की राशि बाप बेटे ने प्राप्त कर मौके पर कब्जा करवा दिया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

9.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय में हरिराम पक्षकार नहीं था। इस कारण हरिराम को यह अपील पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपील मूल प्रार्थना पत्र में जो पक्षकार है। वही कर सकते है। मूल प्रार्थना पत्र में हरिराम पक्षकार नहीं था। हरिराम ने अपील पेश करने की अनुमति भी नहीं ली है।

राजस्व विभाग द्वारा खरीदारान के पक्ष में 15 बीघा का म्यूटेशन स्वीकृत किया है। उसके बाद सेटलमेन्ट समाप्त हुआ है। यह अपील हरिराम को पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण खारिज किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 1701 गैर मुमकिन वाला है जो राजस्व नियमों के तहत किसी को नियमन या आवंटित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्थान राज्य में समस्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी को निर्देश भी दिये हुये है कि गैर मुमकिन वाला, नाडी, तालाब, ओरण, गोचर, चारागाह की भूमि किसी को नियमन व आवंटित नहीं की जायें। खसरा नम्बर 1701 गैर मुमकिन वाला है। इस प्रकार यह जमीन नियमन या आवंटन नहीं की जा सकती है। धारा 136 एलआर एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील म्याद बाहर होने से तथा अपीलार्थी को अपील पेश करने का अधिकार नहीं होने से तथा आराजी गैर मुमकिन वाला होने से अपील खारिज की जावें तथा हर्जा खर्चा अपीलार्थी से दिलवाया जावें।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि प्रकरण रेकर्ड दुरूस्तीकरण का है जबकि रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया गया है को हटाकर अपीलार्थी के पिता के खाते में रेकर्ड दुरूस्तीकरण हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था। खरीददार के खाते में 8 बीघा जमीन होने से उसका हक टाईटल शेष जमीन पर नही रहता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। वकील रेस्पो. का कथन है कि प्रकरण धारा 136 दुरूस्तीकरण का नही है क्योकि अपीलाण्ट के पिता ने रेस्पो. को इस खसरे की सम्पूर्णभूमि 15 बीघा बेचान कर दी गई थी । अब उसका कोई हक टाईटल शेष नही रहा है। उक्त आराजी उसकी खातेदारी की होने के संबंध में प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट में प्रस्तुत उजरदारी दिनांक 22.3.93 खारीज हो चुकी थी, उक्त 15 बीघा भूमि के खरीददार को यदि सेटलमेंट द्वारा कम आराजी 8 बीघा ही उसके खाते में रखी है तो उससे प्रार्थी के हितो पर उसका हक टाईटल शेष नही रहने से कोई प्रभाव नही पडता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नही रहा है इसलिए अपील पेश नही कर सकता है। अपील म्याद बाहर है । अतः अपील खारीज फरवाई जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी2007 भाग 2 पेज सं. 1224 पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि

9.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

1) प्रथमतः अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. रा.अधि. 1956 निर्णय दिनांक 04.09.2000 के 18 वर्ष उपरान्त हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। देरी के कारण का आधार अपील के बिन्दु "अ" में अपीलार्थीगण प्रार्थी के पिता सवाराम मृत्यु वर्ष 2004 व माता की मृत्यु वर्ष 2010 में होना बताकर 2017 में अर्न्तगत धारा 136 एलआरएक्ट के निर्णय की जानकारी होना बताया है।वकील अपीलाण्ट ने बहस में भी इस बिन्दुपर अन्य कोई स्पष्टीकरण अवगत नही कराया। अतः अपील प्रथमतः मियाद बाहर की है।

2) द्वितीयतः गुणावगुण पर भी अपील पर विचार करने पर प्रार्थी अपीलार्थी को संवत 2021 में आंवटित 15 बीघा भूमि में से उसके खाते में दर्ज भूमि नये ख.न. 1771 रकबा 15 बीघा भूमि रेस्पो. स. 2 को बेचान करना बताया है एवं नये खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.32 है. किस्म गै.मु. वाला है की खातेदारी चाही जाकर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में दुरस्ती चाही गई है। वस्तुतः इस भूमि पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय समय पर करवाई गई जांचो में यह भूमि गै.मु. वाला ही होने की पुष्टि हुई है। अतः यह प्रकरण रिकार्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही है। अतः अपीलाण्ट का यह एतराज मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर का निर्णय दिनांक 04.09.2000 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के अपील संख्या 46/1999 निर्णय दिनांक 04.09.2000, बअनवान सवा बनाम राज. सरकार व अन्य के निर्णय को यथावत रखा जाता है। म्यूटेशन संख्या 429 को यथावत रखते हुए अपील खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

28.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

28.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)